



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]
No. 276]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 20, 2010/वैशाख 30, 1932
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 20, 2010/VAISAKHA 30, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 मई, 2010
सा.का.नि. 431(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) सप्तम संशोधन विनियमावली, 2010 कहलाएंगे।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "छत्तीसगढ़" शीर्षक में, उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

छत्तीसगढ़		
राज्य सरकार के अधीन वर्षिक इयूटी पद	97	तैनाती हेतु न्यूनतम कार्यकाल (वर्षों में)
(1)	(2)	(3)
मुख्य सचिव	1	-

(1)	(2)	(3)
अध्यक्ष राजस्व बोर्ड	1	2
सरकार के प्रधान सचिव	5	2
कृषि उत्पाद आयुक्त	1	2
महानिदेशक प्रशासनिक अकादमी	1	2
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1	2
सरकार के सचिव	11	2
सदस्य राजस्व बोर्ड	1	2
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1	2
आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली	1	2
पंजीयक, सहकारी समितियां	1	2
रजिस्ट्रार के सचिव	1	2
मुख्य मंत्री के सचिव	1	2
क्षमायुक्त	1	2
उत्पाद आयुक्त	1	2
आयुक्त, जनजातीय विकास	1	2
आयुक्त, उद्योग	1	2
विकास आयुक्त	1	2
प्रभागीय आयुक्त	4	2
कृषि आयुक्त	1	2
घातघात आयुक्त	1	2
समाहर्ता	18	2
कार्यकारी निदेशक, डीआरडीए एवं पदेन मु.का.अ. जिला पंचायत	9	2
अपर समाहर्ता	6	2
सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	14	2

(1)	(2)	(3)
निदेशक, लोक अनुदेश	1	2
निदेशक, महिला एवं बाल विकास	1	2
निदेशक, भूमि अभिलेख	1	2
निदेशक, शहरी प्रशासन	1	2
निदेशक, पंचायत एवं समाज कल्याण	1	2
निदेशक, खाद्य सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1	2
सचिव, लोक सेवा आयोग	1	2
निदेशक, ट्रेजरी एवं लेखा	1	2
निदेशक, संस्थागत वित्त	1	2
निदेशक, बजट	1	2
निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा	1	2
अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली	1	2
1. कुल वरिष्ठ इप्टी पद	97	
2. सी.डी.आर. उक्त मद 1 का 40% से अधिक नहीं	38	
3. एस.डी.आर. उक्त मद 1 का 25% से अधिक नहीं	24	
4. टी.आर. उपर्युक्त मद 1 का 3.5% से अधिक नहीं	3	
5. एल आर और कमिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5% से अधिक नहीं	16	
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं	54	
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	124	
कुल प्राधिकृत पद संख्या	178	

[फा. सं. 11031/08/2009-अ.प.से.- (II)-क]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पहले छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 138 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या सा.का.नि. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग के संबंध में विनियम सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों द्वारा उन्हें संशोधित किया गया :-

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	811(अ)	21-10-2000
2.	812(अ)	21-10-2000
3.	427	18-12-2004
4.	230(अ)	27-3-2008
5.	188(अ)	24-3-2009

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2010

G.S.R. 431(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Chhattisgarh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Seventh Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Chhattisgarh" for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

CHHATTISGARH

Senior Duty Posts under the State Government	97	Minimum Tenure for posting (in years)
(1)	(2)	(3)
Chief Secretary	1	—
President, Board of Revenue	1	2
Principal Secretary to the Government	5	2
Agriculture Production Commissioner	1	2
Director General Administrative Academy	1	2
Chief Electoral Officer	1	2
Secretary to the Government	11	2
Member, Board of Revenue	1	2

(1)	(2)	(3)
Commissioner, Commercial Taxes	1	2
Commissioner, Government of Chhattisgarh, New Delhi	1	2
Registrar, Co-operative Societies	1	2
Secretary to Governor	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Labour Commissioner	1	2
Excise Commissioner	1	2
Commissioner, Tribal Development	1	2
Commissioner, Industries	1	2
Development Commissioner	1	2
Divisional Commissioners	4	2
Commissioner, Agriculture	1	2
Commissioner, Transport	1	2
Collector	18	2
Executive Director, DRDA and Ex-officio, CEO, District Panchayat	9	2
Additional Collector	6	2
Additional Secretary/ Joint Secretary/Deputy Secretary to Government	14	2
Director, Public Instruction	1	2
Director, Women and Child Development	1	2
Director, Land Records	1	2
Director, Urban Administration	1	2
Director, Panchayat & Social Welfare	1	2
Director, Food, Civil Supplies & Consumer Protection	1	2
Secretary, Public Service Commission	1	2
Director, Treasuries and Accounts	1	2
Director, Institutional Finance	1	2
Director, Budget	1	2
Director, Local Fund Audit	1	2
Additional Resident Commissioner, Govt. of Chhattisgarh, New Delhi	1	2

(1)	(2)	(3)
1. Total Senior Duty Posts	97	
2. CDR not exceeding 40% of Item 1 above	38	
3. SDR not exceeding 25% of Item 1 above	24	
4. TR not exceeding 3.5% of Item 1 above	3	
5. LR and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	16	
6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Items 1, 2, 3 and 4 above.	54	
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	124	
Total Authorized Strength	178	

[F. No. 11031/08/2009-AIS-II-A]

HARISH C. RAI, Desk Officer

Note 1 : Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Chhattisgarh IAS Cadre was 138.

Note 2 : The principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Chhattisgarh Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates :—

Sl. No.	G.S.R. No.	Date
1.	811(E)	21-10-2000
2.	812(E)	21-10-2000
3.	427	18-12-2004
4.	230(E)	27-03-2008
5.	188(E)	24-03-2009

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2010

सा.का.वि. 432(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार उत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (केतन) नियमावली, 2007 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नौवा संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :—

(क) तालिका में 'अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऊपर के वेतन वाले पदों' में, प्रथम कॉलम में "छत्तीसगढ़" प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

छत्तीसगढ़

मुख्य सचिव	80,000 रुपए (नियत)
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	80,000 रुपए (नियत)
सरकार के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान : 67,000—79,000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत को दर से)
कृषि उत्पाद आयुक्त	एच.ए.जी. वेतनमान : 67,000—79,000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)
महा निदेशक, प्रशासनिक अकादमी	एच.ए.जी. वेतनमान : 67,000—79,000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
सरकार के सचिव	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
सदस्य राजस्व बोर्ड	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
पंजीयक, सहकारी समितियां	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
रजमपाल के सचिव	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
मुख्य मंत्री के सचिव	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
श्रमायुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
उत्पाद आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
आयुक्त, जनजातीय विकास	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
आयुक्त, उद्योग	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
विकास आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
प्रभागीय आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
कृषि आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
यातायात आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.

(ख) 'अनुसूची-II भाग ख में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों' में 'छत्तीसगढ़' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

समाहर्ता

कार्यकारी निदेशक, डीआरडीए एवं पदेन मु.का.अ.
जिला पंचायत
अपर समाहर्ता
सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
निदेशक, लोक अनुदेश
निदेशक, महिला एवं बाल विकास
निदेशक, भूमि अपिलेख
निदेशक, शहरी प्रशासन
निदेशक, पंचायत एवं समाज कल्याण
निदेशक, खाद्य सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
सचिव, लोक सेवा आयोग
निदेशक, ट्रेजरी एवं लेखा
निदेशक, संस्थागत वित्त
निदेशक, बजट
निदेशक, स्थानिय विधि लेखा परीक्षा
अपर आयातीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली

[फा. सं. 11631/08/2009-अ.पा.से. (II)-2क]

हरिश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 20-03-2008 की सं. सा.का.नि. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं तत्परचात् सं. सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 19-09-2008, 123(अ), दिनांक 15-04-2009, सं. सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 21-07-2009, सं. सा.का.नि. 572(अ), दिनांक 13-08-2009, सं. सा.का.नि. 820, दिनांक 12-11-2009, सं. सा.का.नि. 72(अ), दिनांक 10-2-2010, सं. सा.का.नि. 102(अ), दिनांक 25-02-2010, सं. सा.का.नि. 191(अ), दिनांक 12-03-2010 सं. सा.का.नि. 298(अ), दिनांक 08-04-2010, सं. सा.का.नि. 397(अ), दिनांक 1-5-2010 और सं. सा.का.नि. 404(अ), दिनांक 13-5-2010।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2010

G.S.R. 432(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Chattisgarh hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Ninth Amendment Rules, 2010.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:—

In "Scheduled II-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry 'CHHATTISGARH' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely :

CHHATTISGARH

Chief Secretary	Rs. 80000 (fixed)
President, Board of Revenue	Rs. 80000 (fixed)
Principal Secretary to the Government	HAG Scale Rs. 67000-79000 (annual increment @ 3%)
Agriculture Production Commissioner	HAG Scale Rs. 67000-79000 (annual increment @ 3%)
Director General Administrative Academy	HAG Scale Rs. 67000-79000 (annual increment @ 3%)
Chief Electoral Officer	PB-4 + GP Rs. 10000
Secretary to the Government	PB-4 + GP Rs. 10000
Member, Board of Revenue	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Commercial Taxes	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Govt. of Chhattisgarh, New Delhi	PB-4 + GP Rs. 10000
Registrar, Co-operative Societies	PB-4 + GP Rs. 10000
Secretary to Governor	PB-4 + GP Rs. 10000
Secretary to Chief Minister	PB-4 + GP Rs. 10000
Labour Commissioner	PB-4 + GP Rs. 10000
Excise Commissioner	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Tribal Development	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Industries Development Commissioner	PB-4 + GP Rs. 10000
Divisional Commissioners	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Agriculture	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Transport	PB-4 + GP Rs. 10000

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'Chhattisgarh', the following shall be substituted, namely :—

Collector

Executive Director, DRDA and Ex-officio, CEO, District Panchayat

Additional Collector

Additional Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary to Government

Director, Public Instruction

Director, Women and Child Development

Director, Land Records

Director, Urban Administration

Director, Panchayat and Social Welfare

Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection

Secretary, Public Service Commission

Director, Treasuries and Accounts

Director, Institutional Finance

Director, Budget

Director, Local Fund Audit

Additional Resident Commissioner, Govt. of Chhattisgarh, New Delhi

[F. No. 11031/08/2009-AIS-II-B]

HARISH C. RAI, Desk Officer

Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide No. G.S.R. 213(E), dated 20-03-2008 and subsequently were amended vide No. G.S.R. 665(E), dated 19-09-2008, 123(E), dated 15-4-2009, No. G.S.R. 542(E), dated 21-07-2009, No. G.S.R. 572(E), dated 13-08-2009, No. G.S.R. 820 dated 12-11-2009, No. G.S.R. 72(E), dated 10-02-2010, No. G.S.R. 102 (E), dated 25-02-2010, No. G.S.R. 191(E), dated 12-03-2010, No. G.S.R. 298(E), dated 08-04-2010, No. G.S.R. 397(E), dated 01-05-2010 and No. G.S.R. 404(E), dated 13-05-2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2010

सा.का.वि. 433(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पंचम संशोधन विनियमावली, 2010 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में 'पश्चिम बंगाल' शीर्षक में, उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पश्चिम बंगाल

(1)	(2)
राज्य सरकार के अधीन चरिष्ठ इयूटी पद	171
सरकार के मुख्य सचिव	1
अपर मुख्य सचिव एवं भूमि सुधार महा आयुक्त	1
अपर मुख्य सचिव, वन विभाग	1
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग	1
सरकार के प्रधान सचिव	18
प्रभागीय आयुक्त	3
सरकार के सचिव/विशेष सचिव	40
भूमि सुधार आयुक्त	1
निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	1
निदेशक, समाज कल्याण	1
वाणिज्यिक कर आयुक्त	1
श्रमायुक्त	1
पिछड़ा वर्ग कल्याण आयुक्त	1
पंचायत आयुक्त	1
परिवार कल्याण आयुक्त	1
स्कूल शिक्षा आयुक्त	1
उत्पाद आयुक्त	1
भूमि अभिलेख एवं सर्वे निदेशक	1
जन वाहन विभाग निदेशक	1
सरकार के संयुक्त सचिव	35
कुटीर एवं लघु उद्योग निदेशक	1
मूल्यांकन, विकास एवं परियोजना विभाग निदेशक	1
राशन निदेशक	1
जिला वितरण प्रापण एवं आपूर्ति निदेशक	1
स्थानीय निकाय एवं पंच संयुक्त सचिव,	1
स्थानीय सरकार एवं शहरी विकास विभाग निदेशक	1
सचिव, सतकर्ता आयोग	1
पंजीयक, सहकारी समितियाँ	1
जिलाधीश एवं समाहर्ता	18
अपर जिलाधीश/(डी एल एल अर ओ)/	21
बंदोबस्त अधिकारी	
भूमि अधिग्रहण समाहर्ता, कोलकाता	1
रोजगार निदेशक	1
उपभोक्ता सामग्री निदेशक	1
मत्स्य निदेशक	1
ई.एस.आई. निदेशक	1

(1)	(2)
निदेशक, रेशम पालन	1
प्रधान निदेशक, सिपाई कल्याणी	1
कृषि आयुक्त, आयुक्त	1
उद्योग, परामर्शदाता	1
निदेशक उद्योग	1
प्रधान सचिव, दार्जिलिंग गोरखा हिल, कॉन्सिल	1
सचिव, के. एन. डी. ए.	1
सी ई ओ, इन्व्यू वी आई आई डी सी	1
1. कुल चरिष्ठ इयूटी पद	171
2. सी.डी.आर. उक्त मद 1 का 40% से अधिक नहीं	68
3. एस.डी.आर. उक्त मद 1 का 25% से अधिक नहीं	42
4. टी.आर. उपर्युक्त मद 1 का 3.5% से अधिक नहीं	5
5. एल.आर. और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5% से अधिक नहीं	28
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) विनियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं	95
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	219
कुल प्राधिकृत पद संख्या	314

[फा. सं. 11031/09/2009-अ.पा.से. (11)-क]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 296 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या सा.का.नि. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों द्वारा उन्हें संशोधित किया गया :—

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	450(अ)	22-9-73
2.	373(अ)	26-3-74
3.	95(अ)	25-1-75
4.	424(अ)	25-6-76
5.	654(अ)	28-10-77
6.	951	29-7-78
7.	176	16-2-80

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8.	104(अ)	10-3-80	Additional Chief Secretary, Forest Department		1
9.	571(अ)	7-10-80	Additional Chief Secretary, Home Department		1
10.	618(अ)	20-10-82	Principal Secretary to the Government		18
11.	787	31-12-88	Commissioner of Division		3
12.	17(अ)	10-1-83	Secretary/Special Secretary to Government		40
13.	50	19-1-85	Land Reforms Commissioner		1
14.	834	7-9-85	Director, Administrative Training Institute		1
15.	795(अ)	18-9-87	Director, Social Welfare		1
16.	744	24-9-88	Commissioner for Commercial Taxes		1
17.	393	10-6-89	Labour Commissioner		1
18.	258	29-5-93	Commissioner of Backward Classes Welfare		1
19.	319(अ)	31-3-95	Commissioner of Panchayats		1
20.	312	27-7-96	Commissioner of Family Welfare		1
21.	739	31-12-97	Commissioner of School Education		1
22.	259	7-8-04	Commissioner of Excise		1
23.	188(अ)	24-3-09	Director of Land Records and Survey		1
			Director of Public Vehicles Department		1
			Joint Secretary to Government		35
			Director of Cottage and Small Scale Industries		1
			Director of Evaluation, Development and Planning Department		1
			Director of Rationing		1
			Director of District Distribution Procurement and Supply		1
			Director, Local Bodies and ex-officio Joint Secretary, Local Government and Urban Development Department		1
			Secretary, Vigilance Commission		1
			Registrar, Cooperative Societies		1
			District Magistrate and Collector		18
			Additional District Magistrate/(DLLRO)/ Settlement Officer		21
			Land Acquisition Collector, Kolkatta		1
			Director of Employment		1
			Director of Consumer Goods		1
			Director of Fisheries		1
			Director, ESI		1
			Director, Sericulture		1
			Principal Director, SIPARD Kalyani		1
			Commissioner, Agricultural Income Tax		1
			Advisor, Industries		1
			Director of Industries		1

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2010.

G.S.R. 433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "West Bengal" for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely:—

WEST BENGAL

(1)	(2)	(3)
	Senior Duty Posts under the State Government	171
	Chief Secretary to Government	1
	Additional Chief Secretary & Commissioner General, Land Reforms	1

1949 4/10-3

(1)	(2)	(3)
	Principal Secretary, Darjeeling Gorkha Hill Council	1
	Secretary, KMDA	1
	CEO, WBIDC	1
1.	Total Senior Duty Posts	171
2.	CDR not exceeding 40% of item 1 above	68
3.	SDR not exceeding 25% of Item 1 above	42
4.	TR not exceeding 3.5% of Item 1 above	5
5.	LR and Junior Posts reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	28
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Items 1, 2, 3 and 4 above	95
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	219
Total Authorised Strength		314

[F. No. 11031/09/2009-AIS-II-A]

HARISH C. RAJ, Desk Officer

Note 1 : Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of West Bengal IAS Cadre was 296.

Note 2 : The principal Regulations were published in the Gazette of India *vide* No. SRO 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the West Bengal Cadre of Indian Administrative Service *vide* following G.S.R. numbers and dates :—

Sl. No.	G.S.R.	Date
(1)	(2)	(3)
1.	450(E)	22-9-73
2.	373(E)	26-3-74
3.	95(E)	25-1-75
4.	424(E)	25-6-76
5.	654(E)	28-10-77
6.	951	29-7-78
7.	176	16-2-80
8.	104(E)	10-3-80
9.	571(E)	7-10-80
10.	618(E)	20-10-82
11.	787	31-12-98
12.	17(E)	10-1-83
13.	50	19-1-85
14.	834	7-9-85

(1)	(2)	(3)
15.	795(E)	18-9-87
16.	744	24-9-88
17.	393	10-6-89
18.	258	29-5-93
19.	319(E)	31-3-95
20.	312	27-7-96
21.	739	31-12-97
22.	259	7-8-2004
23.	188(E)	24-3-2009

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2010

सा.का.वि. 434(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की भाग 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सतवा संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :—

(क) तालिका में 'अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऊपर के वेतन वाले पदों' में, प्रथम कॉलम में "पश्चिम बंगाल" प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पश्चिम बंगाल

(1)	(2)
सरकार के मुख्य सचिव	80,000 रुपए (नियत)
अपर मुख्य सचिव एवं भूमि सुधार महा आयुक्त	80,000 रुपए (नियत)
अपर मुख्य सचिव, वन विभाग	80,000 रुपए (नियत)
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग	80,000 रुपए (नियत)
सरकार के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान : 67,000-79,000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)
प्रभागीय आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
सरकार के सचिव/विशेष सचिव	पी.बी.-4+ ग्रेड पे 10,000 रु.
भूमि सुधार आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.

(1)	(2)
निदेशक, समाज कल्याण	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
सांख्यिकिक कर आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
श्रमायुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
पिछड़ा वर्ग कल्याण आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
पंचायत आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
परिवार कल्याण आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
स्कूली शिक्षा आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
उत्पाद आयुक्त	पी.बी.-4 + ग्रेड पे 10,000 रु.

(ख) 'अनुसूची II-भाग ख' में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'पश्चिम बंगाल' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

भूमि अभिलेख एवं सर्वे निदेशक
जन वाहन विभाग निदेशक
सरकार के संयुक्त सचिव
कुटीर एवं लघु उद्योग निदेशक
मूल्यांकन, विकास एवं परियोजना विभाग निदेशक
राशन निदेशक
जिला वितरण प्रापण एवं आपूर्ति निदेशक
स्थानीय निकाय एवं पदेन संयुक्त सचिव,
स्थानीय सरकार एवं शहरी विकास विभाग निदेशक
सचिव, सतर्कता आयोग
पंजीयक, सहकारी समितियां
जिलाधीश एवं समाहर्ता
अपर जिलाधीश/(डी एल एल आर ओ)/बंदोबस्त अधिकारी
भूमि अधिग्रहण समाहर्ता, कोलकाता
रोजगार निदेशक
उपभोक्ता सामग्री निदेशक
मत्स्य निदेशक
ई.एस.आई. निदेशक
निदेशक, रेशम पालन
प्रधान निदेशक, सिपाई कल्याणी
कृषि आयुक्त, आयुक्त
उद्योग, परामर्शदाता
निदेशक उद्योग
प्रधान सचिव, दार्जिलिंग गोरखा डिल, कौंसिल
सचिव, के.एम.डी.ए.
सी ई ओ, डब्ल्यू बी आई आई डी सी

[फा. सं. 11031/09/2009-अ.भा.से. (II)-ख]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी.—मुख्य नियम दिनांक 20-3-2008 की सं. सा.का.नि. 213(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए एवं तत्परचात् सं. सा.का.नि. 665(अ) दिनांक 19-9-2008, 123(अ) दिनांक 15-4-2009, सं. सा.का.नि. 542(अ) दिनांक 21-7-2009, सं. सा.का.नि. 572(अ) दिनांक 13-8-2009, सं. सा.का.नि. 820 दिनांक 12-11-2009, सं. सा.का.नि. 72(अ) दिनांक 10-2-2010, सं. सा.का.नि. 102(अ) दिनांक 25-2-2010, सं. सा.का.नि. 191(अ) दिनांक 12-3-2010, सं. सा.का.नि. 298(अ) दिनांक 8-4-2010, सं. सा.का.नि. 397(अ) दिनांक 1-5-2010 और सं. सा.का.नि. 404(अ) दिनांक 13-5-2010।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2010

G.S.R. 434(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Tenth Amendment Rules, 2010.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:—

In "Scheduled II-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry 'West Bengal' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:

'WEST BENGAL'

(1)	(2)
Chief Secretary to Government	Rs. 80,000 (fixed)
Additional Chief Secretary and Commissioner General, Land Reforms	Rs. 80,000 (fixed)
Additional Chief Secretary, Forest Department	Rs. 80,000 (fixed)
Additional Chief Secretary, Home Department	Rs. 80,000 (fixed)
Principal Secretary to the Government	HAG Scale Rs. 67000-79000 (annual Increment @ 3%)
Commissioner of Division	PB-4 + GP Rs. 10,000

(1)	(2)
Secretary/Special Secretary to Government	PB-4 + GP Rs. 10,000
Land Reforms Commissioner	PB-4 + GP Rs. 10,000
Director, Administrative Training Institute	PB-4 + GP Rs. 10,000
Director, Social Welfare	PB-4 + GP Rs. 10,000
Commissioner for Commercial Taxes	PB-4 + GP Rs. 10,000
Labour Commissioner	PB-4 + GP Rs. 10,000
Commissioner of Backward Classes Welfare	PB-4 + GP Rs. 10,000
Commissioner of Panchayats	PB-4 + GP Rs. 10,000
Commissioner of Family Welfare	PB-4 + GP Rs. 10,000
Commissioner of School Education	PB-4 + GP Rs. 10,000
Commissioner of Excise	PB-4 + GP Rs. 10,000*

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'West Bengal', the following shall be substituted, namely :—

Director of Land Records and Survey
 Director of Public Vehicles Department
 Joint Secretary to Government
 Director of Cottage and Small Scale Industries
 Director of Evaluation, Development and Planning Department
 Director of Rationing
 Director of District Distribution Procurement and Supply
 Director, Local Bodies and ex-officio Joint Secretary, Local Government and Urban Development Department

Secretary, Vigilance Commission
 Registrar, Cooperative Societies
 District Magistrate and Collector
 Additional District Magistrate/DLLRO/Settlement Officer
 Land Acquisition Collector, Kolkata
 Director of Employment
 Director of Consumer Goods
 Director of Fisheries
 Director, ESI
 Director, Sericulture
 Principal Director, SIPARD Kalyani
 Commissioner, Agricultural Income Tax
 Advisor, Industries
 Director of Industries
 Principal Secretary, Darjeeling Gorkha Hill Council
 Secretary, KMDA
 CEO, WBIDC

[F. No. 11031/09/2009-AIS-(II)-B]

HARISH C. RAI, Desk Officer

Note.—The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* No. G.S.R. 213(E) dated 20-3-2008 and were subsequently amended *vide* No. G.S.R. 665(E) dated 19-9-2008, 123(E) dated 15-4-2009, No. G.S.R. 542(E) dated 21-7-2009, No. G.S.R. 572(E) dated 13-8-2009, No. G.S.R. 820 dated 12-11-2009, No. G.S.R. 72(E) dated 10-2-2010, No. G.S.R. 102(E) dated 25-2-2010, No. G.S.R. 191(E) dated 12-3-2010, No. G.S.R. 298(E) dated 8-4-2010, No. G.S.R. 397(E) dated 1-5-2010 and No. G.S.R. 404(E) dated 13-5-2010.